UPEW010051702024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–12/विशेष न्यायाधीश (द०–प्र०क्षे०) अधिनियम, इटावा।

अन्तिम रिपोर्ट सं0 :814/2024

अवनीश तिवारी बनाम सुरेश सिंह
अ०सं0 :182/2022
धारा :323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना :सिविल लाइन, जिला: इटावा।

01.06.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत मामले में वादी अवनीश तिवारी को नोटिस भेजा गया है, लेकिन वादी न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ तथा नोटिस वादी को तामील हुआ, लेकिन वादी न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि वादी को नोटिस पूर्व में भेजा जा चुका है। उसके बावजूद भी लम्बे समय से वह उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रख रहा है। उक्त अन्तिम आख्या सन 2022 से लम्बित चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा को प्रस्तुत अन्तिम आख्या पर कोई आपत्ति/प्रोटेस्ट व प्रतिरोध करने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अंतिम आख्या, केस डायरी व पुलिस प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा बताया गया कि इस अभियोग में नामित अभियुक्त सुरेश सिंह ने दिनांक–26.04.2022 को थाना फ्रैण्ड्स कालोनी पर मु०अ०सं० 146/2022 अन्तर्गत धारा–147, 148, 323, 394, 386, 506 भा०दं०सं० में वादी मुकदमा अवनीश कुमार तिवारी व इनके साथियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें दबाव बनाने के उद्देश्य से वादी मुकदमा द्वारा यह अभियोग पंजीकृत किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में थाना सिविल लाइन द्वारा आख्या का०–सं० 12 ख प्रस्तुत हुई, जिसमें विवेचक द्वारा बताया गया कि मुकदमा उपरोक्त में प्रथम वि–वेचक द्वारा धारा–386, 394 भा०दं०सं० का लोप किया जा चुका था व शेष अन्य धाराये–323, 504, 506 भा०दं०सं० ही मात्र प्रदर्शित हो रही थी तथा वादी मुकदमा द्वारा उक्त मा–मले में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण मात्र धारा– 323, 504, 506 भा०दं०सं० में ही साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना नियमानुसार सही व निष्पक्ष ढंग से की गयी है तथा विवेचक द्वारा मामले से सम्ब–न्धित समस्त साक्ष्य संकलन करते हुए उचित निष्कर्ष लिये गये है तथा अंतिम आख्या प्रे–षित की गयी है। अतः ऐसी दशा में विवेचक द्वारा न्यायालय प्रेषित की गयी। उक्त अन्तिम आख्या स्वीकार होने योग्य है।

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.06.01 19:06:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

विवेचक द्वारा अ०सं0–182/2022, धारा–323,504,506 भा०दं०सं०, थाना– सिविल लाइन, जिला इटावा के अभियोग में बाद विवेचना,न्यायालय प्रेषित की गयी अन्तिम रिपोर्ट सं०– 112/2022 स्वीकार की जाती है। इस एफ०आर० की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाए।

(अशोक कुमार दुबे–II)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–12
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०),इटावा
J.O.Code NO.U.P.1643